राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, शाहपुरा

(पीठासीन अधिकारी प्रकाश चन्द्र रेगर, आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 48/2025 अपील

1. शंकर पिता हजारी ब्राहमण नि. देवरिया तहसील फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री शंकर पिता हजारी ब्राहमण, – अपीलान्ट स्वयं

निर्णय

दिनांक 10.02.2026

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम विरूद्व तहसीलदार फुलियाकलां के धारा 91 निर्णय की प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी के विरूद्ध ग्राम देवरिया पटवार हल्का देवरिया तहसील फुलिया कलॉ की आराजी नम्बर 2797/976 रकबा 0.0120 हैक्टयर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। इस पर अपीलार्थी को नोटिस जारी किये गये, जिस पर दिनांक 28.05.2024 को अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ व उक्त भूमि अपीलार्थी की खातेदारी होने व न्यायालय आदेश से रास्ता दर्ज होने व अपील न्यायालय मे विचाराधीन होने की बात बतायी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी से उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर करा लिये व बिना अपीलार्थी को सुनवायी व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना व अपीलार्थी किसी प्रकार से अतिकमी की श्रेणी मे नही होने के बावजूद भी प्रफोर्मा मे निर्णय पारित फरमाते हुए अपीलार्थी को

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा

बेदखल करने व लगान का 50 गुणा जुर्माना अधिरोपित फरमा दिया गया। माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय/आदेश से व्यथित होकर अपीलांट्स यह अपील निम्नलिखित आधारो पर सादर पेश करते है कि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेश विधि एवं तथ्यो के विपरीत होने से अपास्त होने योग्य है। पटवारी पटवार हल्का देवरिया तहसील फुलिया कलॉ जिला शाहपुरा द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध ग्राम देवरिया पटवार हल्का देवरिया तहसील फुलिया कलॉ की आराजी नम्बर 2797/976 रकबा 0.0120 हैक्टयर भूमि पर अतिक्रमण कर लिया। जिस पर दिनांक 28.05.2024 को अपीलार्थी अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ व उक्त भूमि अपीलार्थी की खातेदारी होने व न्यायालय आदेश से रास्ता दर्ज होने व अपील न्यायालय में विचाराधीन होने की बात बतायी, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी से उपस्थिति बाबत हस्ताक्षर करा लिये व बिना अपीलार्थी को सुनवायी व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना व अपीलार्थी किसी प्रकार से अतिकमी की श्रेणी मे नही होने के बावजूद भी प्रफोर्मा मे निर्णय पारित पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। आराजी नम्बर 2797/976 जो कि रास्ते की भूमि नही है, बल्कि उक्त आराजी के मूल आराजी नम्बर 976 होकर अपीलार्थी की खातेदारी भूमि है, जिसमे से न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय, फुलिया कलॉ द्वारा बप्रकरण संख्या 02/2023 राजस्व प्रार्थनापत्र रामगोपाल बनाम राधेश्याम व अन्य प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आर. टि.एक्ट मे दिनांक 14.02.2024 को गलत तरीके से रास्ता दिलाया गया, उक्त निर्णय के विरूद्ध अपील भू प्रबंध अध्किाारी एंव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाड़ा के यहां पेश की, जिसके प्रकरण संख्या अपील/टीए/81/2024 शंकर बनाम रामगोपाल होकर मामले मे दिनांक 24.05.2024 को पत्रावली तलबी के आदेश भी दिये गये है व साथ ही पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से स्थगन पर सुनवायी नही हो सकी, जिस बाबत दिनांक 23.04.2024 एवं दिनांक 28.05.2024 को भी प्रार्थनापत्र पेश कर उक्त निर्णय की क्रियान्वती को स्थगित रखने हेतु प्रार्थनापत्र पेश किया गया। पटवार हल्का को भी अपील पेश करने की जानकारी होते हुए व अपीलार्थी की भूमि मे रास्ता नही होते हुए भी गलत तौर पर रास्ता दर्ज होने के बावजूद भी अपीलार्थी का वैध कब्जा होकर अतिक्रमण की श्रेणी मे नही होते हुए भी पटवार हल्का

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा

द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध गलत 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यो से अवगत कराने के बावजूद भी उन्हे नजर अंदाज कर व साक्ष्य पेश नही करने का अवसर दिये बिना ही उक्त आदेश पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। उक्त आराजी रास्ते के रूप मे कायम की गयी, उस खातेदार की रामगोपाल की कृषि भूमि मे आने जाने हेतु 3 रास्ते मौजूद है, अपीलार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के समक्ष प्रस्तुत अपील मे उल्लेख करवा रखा है। उक्त भूमि कभी रास्ते के रूप मे उपयोग मे नही आयी है व न ही कभी कोई रास्ता रहा है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को अतिकमी मान आदेश पारित किया हे, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है। मामले मे जो मौका पर्चा पेश किये गये है, जो कि अपीलार्थी की अनुपस्थिति मे बनाये गये है, जो मौके पर्चे पर हस्ताक्षर है, मामले मे अपीलार्थी को बिना सुने व बिना सुनवायी का अवसर दिये बिना मनमकसूद तरीके से उक्त आदेश पारित किया हे, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होकर अपास्त होने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना न्यायिक मष्तिक का उपयोग किये , मामले मे बिना किसी साक्ष्य लिये, केवल मात्र प्रफोर्मा मे नाम पते लिखकर निर्णय पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरीत होकर निर्णय विधि विरूद्ध होने से अपास्त होने योग्य है।

प्रस्तुत अपील पंजीबद्व की जाकर विपक्षीगण को नोटिस जारी किये गये।

अपीलान्ट ने बहस हेतु निवेदन किया गया। अपीलान्ट की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट ने अपनी बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार ने एक मात्र मुझ अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित किया है। अतः अपील स्वीकार कराना फरमावे।

अपीलान्ट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर अध्ययन किया गया। अपीलान्ट की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के अध्ययन से जाहिर आया कि अपीलार्थी ने बताया की हस्तगत प्रकरण में न्यायालय तहसीलदार ने एक मात्र मुझ अपीलार्थी के विरूद्ध आदेश पारित किया है परन्तु इस संबध में किसी भी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। साथ ही

अति.जिला कलक्टर
शाहपुरा